अध्याय १९

भारतीय स्वतन्त्रता
(Indian Independence)

> प्रधान मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, जवाहरलाल नेहरू गवर्नर जनरल लार्ड माउन्ट बैटन के समीप गए और उन्हें एक बंद लिफाफा देते हुए कहा—"क्या मैं आपको नये मंत्रि-मंडल के विभागों की सूची प्रस्तुत कर सकता हूं।"
> समारोह की समाप्ति के बाद जब लार्ड माउन्ट बैटन ने लिफाफा खोला तो वह खाली था। नेहरू उसके अन्दर सूची रखना ही भूल गये थे।

जब कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने विभाजन की शर्त पर स्वतन्त्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था तो लार्ड माउन्ट बैटन ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी। गांधीजी ने जब भारत के विभाजन की योजना के बारे में सुना और जब यह सुना कि नेहरू उसे स्वीकार कर चुके हैं तो उन्होंने कहा—"नेहरू हमारे राजा हैं। परन्तु राजा जो भी करता है या नहीं करता है, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिये। यदि उसने हमारे लिये कोई अच्छा उपाय किया है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिये और यदि नहीं, तो हमें साफ-साफ कह देना चाहिये।"[1]

लेकिन जब गांधीजी ने देखा कि अधिकांश नेता विभाजन को एक आवश्यक बुराई मानते हैं तो उनकी भी हिम्मत टूट गई और कांपती हुई आवाज में अन्त में उन्होंने माउन्ट बैटन योजना का समर्थन कर ही दिया। अब माउन्ट बैटन योजना का क्रियान्वयन शेष था। उसके लिये ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम पारित किया गया—भारत स्वतन्त्रता अधिनियम।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम
(Indian Independence Act)

४ जुलाई १९४७ को ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पास कर दिया। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

---

1. GANDHIJI—"Nehru is our king. But we should not be impressed by everything the king does or does not do. If he has devised something good for us we should praise him. If he has not, then we shall say so."

Scanned with CamScan

१. दो अधिराज्यों की स्थापना—इसी अधिनियम के अनुसार १५ अगस्त १९४७ से भारत में दो अधिराज्यों की स्थापना कर दी जायेगी। यह दो अधिराज्य (Dominions) होंगे—भारत और पाकिस्तान। इन दोनों अधिराज्यों को संप्रभुता प्रदान कर दी जाएगी।

२. संविधान सभाओं द्वारा नये संविधान—यह कहा गया कि दोनों राज्यों की संविधान सभाएँ अपने-अपने देशों के लिये संविधान बनाएँगी। इस बीच में जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, संविधान सभाओं को यह अधिकार रहेगा कि वे अपने-अपने देश के लिये संविधान बनाएँ।

३. राष्ट्रमंडल छोड़ने की स्वतन्त्रता—अधिनियम में यह भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को यह स्वतन्त्रता रहेगी कि वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (Common wealth) के सदस्य बने रहे अथवा सदस्यता त्याग दें।

४. अंग्रेजों के नियन्त्रण की समाप्ति—अधिनियम के अनुसार, भारत और पाकिस्तान पर अब ब्रिटिश नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा और अब दोनों देश पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होंगे।

५. ब्रिटिश सम्राट के अधिकारों की समाप्ति—भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में ब्रिटिश सम्राट की शक्तियां समाप्त कर दी गईं। भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध अब सम्राट की औपचारिकताएँ तक भी समाप्त हो गईं। गवर्नर जनरल को अपने अपने देश के बारे में कानून बनाने और उसे क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में पूरी शक्तियाँ प्रदान कर दी गईं।

६. १९३५ के अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार—जब तक दोनों देशों के नये संविधान नहीं बन जाते, तब तक दोनों देशों का शासन १९३५ के अधिनियम के अनुसार चलेगा। परंतु दोनों देश अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार १९३५ के अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं।

७. देशी रियासतें—अधिनियम में देशी रियासतों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि उन पर अब ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई है। देशी रियासतों और ब्रिटेन के बीच की गई पुरानी सभी संधियाँ समाप्त हो गई हैं। देशी रियासतें मुक्त हैं। वे चाहें तो भारत के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ विलय कर सकती हैं अथवा अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रख सकती हैं।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति

१४-१५ अगस्त १९४७ की मध्य रात्रि।

नई दिल्ली के कौंसिल भवन के केन्द्रीय कक्ष में शंखों के तुमुल घोष, तालियों की गड़गड़ाहट और 'भारत माता की जय' के नारों के बीच जवाहरलाल नेहरू ने

Scanned with CamScanner

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री की हैसियत से शपथ ली। कौंसिल भवन के बाहर खुशी से मतवाले लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। घरों, मकानों और अन्य भवनों को रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगाया जा रहा था और नेहरू ने संविधान सभा के सदस्यों, तथा अन्य आमंत्रित व्यक्तियों के सम्मुख कहा–"आज हम भारत के दुर्भाग्य का युग समाप्त करते हैं। भारत ने फिर से अपनी खोज कर ली है।"

संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्रप्रसाद ने कहा "हम सभी को यह आश्वासन देते हैं कि हमारा प्रयत्न रहेगा कि गरीबी, भुखमरी और बीमारियाँ समाप्त हों, शोषण और असमानता का अन्त हो और हम सबको एक स्वच्छ जीवन की परिस्थितियाँ प्रदान कर सकें।"[1] उनके भाषण के दौरान दो बार लोगों ने हर्षोन्माद से तालियाँ बजाई। एक बार तब, जब उन्होंने कहा कि यह आजादी 'हमारे प्रकाश-स्तम्भ, हमारे मार्गदर्शक और दार्शनिक,' महात्मा गांधी के सतत संघर्ष का परिणाम है। और दूसरी बार तब जब उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण पर गहरा दुःख प्रकट किया और कहा—फिर भी हमारी शुभ कामनाएँ पाकिस्तान के साथ हैं।

इस अवसर पर श्रीमती सुचेता कृपलानी ने अपनी मधुर आवाज में 'जन गन मन' के राष्ट्रीय गीत के साथ ही, इकबाल का 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' गाया।

१५ अगस्त की सुबह लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और इस अवसर पर उन्होंने सुभाषचन्द्र बोस की भूरि-भूरि प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 'दिल्ली चलो' का आह्वान किया था और उन्होंने ही कहा था कि चलो लाल किले पर तिरंगा गाड़ दो। नेहरू ने सुभाष बोस का दिया हुआ नारा 'जय हिन्द' भी उस दिन अपना लिया।... वर्षों के बाद अब कहीं नेहरू को सुभाष बाबू की याद आई, जिन्हें उन्होंने स्वयं कांग्रेस से बाहर निकाला था।

इस दौरान जब नेहरू लाल किले पर से अपना भाषण कर रहे थे, जनता बार-बार हुंकार उठती थी—"महात्मा गाँधी की जय", "महात्मा गांधी की जय।" पर गांधीजी थे कहाँ ?

उस समय जब देहली में जशन और जलसे मनाये जा रहे थे, स्वतन्त्रता संग्राम का सबसे तेजस्वी नायक, कलकत्ता की गलियों और कुचों में हिन्दुओं और मुसलमानों को एकता और प्यार का संदेश देता हुआ, एक लाठी लिये उनके बीच घूम रहा था। उसकी वाणी और व्यक्तित्व के जादू से लोगों का साम्प्रदायिक जनून शांत हो रहा था और कलकत्ता में शांति और सद्भाव की फुहार बह चली थी।

---

1. DR. RAJENDRA PRASAD—"To all we give the assurance that it will be our endeavour to end poverty and squalor and its companions, hunger and disease, to abolish distinctions and exploitation and to ensure decent conditions of living.

Scanned with CamScan

परन्तु दूसरी ओर आरी से काटे गये पंजाब के शरीर से रक्त की नदियाँ बह रही थीं। संसार के इतिहास में पहली बार एक करोड़ लोगों का काफिला सीमा के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ-जा रहा था। पाकिस्तान में मुसलमानों के दिमाग पर शैतान सवार हो गया था। वहाँ हिन्दू और सिक्खों का कत्लेआम किया जा रहा था, स्त्रियों को बीच चौराहों पर निर्वस्त्र करके उनका सतीत्व लूटा जा रहा था, बच्चों और बूढ़ों के अंग-अंग काटकर उन्हें हवा में उछाला जा रहा था। हिन्दुस्तान आते हुए शरणार्थियों की रेलगाड़ियाँ रोक कर एक-एक को मारा जा रहा था और लाशों से पटी रेलगाड़ियाँ भारत भेजी जा रही थी। भारत में भी हिन्दू और सिक्खों ने आखिरकार ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया था। यहाँ से भी मुसलमानों के शव से लदी रेलगाड़ियाँ पाकिस्तान भेजी गईं।

जिस हैवानियत को रोकने के लिये, भारत का विभाजन स्वीकार किया गया, वह हैवानियत फिर भी नहीं रुकी थी। यदि यह सब होना ही था तो क्या इससे अच्छा यह नहीं था कि भारत का विभाजन न होता।

लहू लुहान भारत आजाद हो गया। उसकी दोनों भुजाएँ कट गईं। फिर भी इस आशा और आकांक्षा के साथ कि एक दिन, यह कटा हुआ भाग फिर से भारत के साथ मिल जायेगा, भारत की अड़तीस करोड़ जनता ने स्वतंत्रता की नई किरणों का हृदय से स्वागत किया।

भारत की स्वतन्त्रता में सहायक तत्व

प्रायः ऐसा बताया और जताया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता केवल कांग्रेस या महात्मा गांधी की देन है। परन्तु यह सत्य नहीं है। यह ठीक है कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में कांग्रेस और गांधीजी का एक अत्यन्त विशिष्ट स्थान है, परन्तु इनके अतिरिक्त और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिये हैं। उनको भी स्वतंत्रता के इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए और उनका भी उचित मूल्यांकन होना चाहिए।

भारत को मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्वों के कारण स्वतंत्रता प्राप्त हुई—

१. राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति

१८५७ में भारत का स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया था। परन्तु उसकी असफलता में भी एक चिन्गारी छिपी हुई थी, जो धीरे-धीरे सुलगती रही। राष्ट्रीय जागरण हुआ और उसके साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। पहले पहल तो राष्ट्रीय आन्दोलन बहुत सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ा, परन्तु १९०५ के पश्चात् तिलक के नेतृत्व ने उसमें नई आत्मा फूंक दी।

१९२० में राष्ट्रीय आन्दोलन को गांधीजी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। गांधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को जन-आन्दोलन बना दिया। उनके नेतृत्व में आजादी का उन्माद

Scanned with CamScanner

नगर-नगर और गाँव-गाँव में फैल गया। सविनय अवज्ञा के पश्चात् से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नींव के पत्थर खिसकने लगे थे। १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन से सिद्ध हो गया था कि अब भारत को गुलाम नहीं रखा जा सकता। भारत में पूर्ण जागरण हो चुका था और एक जागृत देश को संसार की कोई शक्ति गुलाम बनाये नहीं रख सकती। दुर्गादास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक—India—from Curzon to Nehru and After में लिखा है—"गांधीजी द्वारा चलाये गये अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन ने भारत की जनता में इतनी अतुलनीय जागृति उत्पन्न कर दी थी कि भारत में केवल तलवार की नोक के अतिरिक्त ब्रिटिश राज को बनाये रखा जा सकता था।"[1] इसीलिए तो स्वतंत्रता के प्रथम दिवस पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड माउंट बैटन ने कहा था—"इस ऐतिहासिक समय में हम महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने अहिंसा के द्वारा इस स्वतंत्रता को जन्म दिया है।"[2] वास्तव में गांधीजी द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रवाह इतना प्रबल था कि जनवरी, १९४६ में जो ब्रिटिश संसदीय पर्यवेक्षक दल भारत में आया था, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अब भारत को गुलाम बनाकर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि सम्पूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असन्तोष है।

२. क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रभाव

भारत में अहिंसात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा के साथ-साथ एक हिंसक और क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रवाह भी चलता रहा। बल्कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रभाव तो शीघ्र और स्पष्ट ही होता था। बंगाल के विभाजन का अन्त मुख्य रूप से क्रान्तिकारी आन्दोलन का ही परिणाम है। अकेले भगतसिंह की फांसी की घटना ने सारे भारत को उसी तरह झकझोर दिया था, जिस तरह असहयोग आन्दोलन ने। और भारत की मानसिक जागृति पर "भारत छोड़ो" आन्दोलन से कहीं ज्यादा सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज के मुक्ति अभियान का असर हुआ था। जब सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज इम्फाल की तरफ बढ़ रही थी, उस समय गांधीजी बोस की वीरता और देशप्रेम के गीत गाते नहीं थकते थे।

संसद-सदस्य एच. वी. कामथ ने कहा था—"इतिहासकारों को मालूम है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर अन्तिम और निर्णायक प्रहार महात्मा गांधी के सत्याग्रहियों ने नहीं, किन्तु नेताजी सुभाष बोस की आजाद हिन्द सेना ने किया था।.....

---

1. DURGA DAS—"Gandhian movement of non-violent non-co-operation, which caused such an unprecedented upsurge among the inarticulate masses that the British Raj could be sustained only at the point of Sword."

2. MOUNT BATTEN—"At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi—the architect of her freedom through non-violence."

Scanned with CamScanner

यदि महात्मा के 'भारत छोड़ो' की मन्द गुहार नेताजी सुभाष बोस के युद्ध घोष 'दिल्ली चलो' द्वारा तेज न की गई होती, जिसकी प्रतिध्वनि सिंगापुर से मणिपुर तक गूंजी थी, यदि महात्माजी के सत्याग्रही नेताजी की सशस्त्र फौज के द्वारा पुष्ट न किए गए होते तो न १५ अगस्त, १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रता होती और न ही २६ जनवरी १९५० को भारतीय गणतन्त्र होता।" वास्तव में वीर सावरकर से लेकर सुभाषचन्द्र बोस तक भारत के हजारों जाने और अनजाने क्रान्तिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता को साकार करने में अमूल्य योगदान दिया है। इस सम्बन्ध में सुश्री वीरेन्द्र सिंधु ने अपनी पुस्तक—"युगद्रष्टा भगतसिंह और उनके मृत्युञ्जय पुरखे"–में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे एकदम ठीक हैं। उन्होंने लिखा है—**"मेरा मन तो भारत की स्वतन्त्रता के इतिहास को हिंसा-अहिंसा के टुकड़ों में बाँटकर नहीं देखता। मैं अपनी जगह स्पष्ट हूँ कि राष्ट्र की स्वतन्त्रता में हिंसा ने अपना काम किया और अहिंसा ने अपना। यही नहीं, दोनों ने एक-दूसरे को काफी दूर तक प्रभावित भी किया है। इनमें एक ही धारा को पकड़कर भारत की स्वतन्त्रता का सच्चा इतिहास लिखा जा सकता है, इसमें मुझे शक है।"**

३. सेना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विस्फोटक स्थिति

भारत की सेनाओं में देश के शासन के प्रति वफादार रहने की परम्परा रही है। भारतीय सेनाएँ द्वितीय विश्व-युद्ध के समय अंग्रेजों के प्रति वफादार भी रही। परंतु युद्ध के दौरान सुभाषचन्द्र बोस के आजाद हिंद फौज के गठन और उसकी विजय-यात्रा ने भारतीय सैनिकों के अन्तर्मन की राष्ट्रीय भावना को सतह पर ला दिया। इसीलिये जब आजाद हिन्द फौज के तीन अधिकारियों—सहगल, शाहनवाज और ढिल्लन पर लालकिले में मुकदमा चला और जब फौजी अदालत ने उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई तो सेना के उच्च अधिकारियों ने सजा का विरोध किया। उन्हें डर था कि कहीं सारी सेना में बगावत ही न हो जाये। तीनों अभियुक्त छोड़ दिये गये।

आजाद हिन्द फौज की प्रेरणा पर ही मुख्य रूप से भारतीय नौ-सेना ने भी फरवरी १९४६ में विद्रोह का झण्डा ऊँचा उठा दिया था। नौ-सेना के सभी जवानों ने एक साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध कर दिया था। इतना ही नहीं, नौ-सेना के समर्थन में वायु-सेना के जवानों ने भी सड़कों पर प्रदर्शन किये थे। ब्रिटिश साम्राज्य के लिये यह खतरे की सबसे प्रखर घंटी थी। इसीलिये तो कामन्स सभा में जब चर्चिल ने श्रमिक दल के प्रधानमन्त्री पर यह आरोप लगाया कि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अनावश्यक रूप से हनन किया है, तो प्रधानमन्त्री एटली ने इसके उत्तर में कहा था—**"ब्रिटेन भारतीयों को स्वतन्त्रता दे रहा है क्योंकि भारतीय सेना अब ब्रिटेन की तरफ वफादार नहीं रही है और ब्रिटेन भारत को अधीन रखने के लिये बहुत भारी सेना भारत में नहीं रख सकता है।"**

Scanned with CamScanner

४. ब्रिटेन में श्रमिक सरकार की विजय

द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने पर जब चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री बने और उनसे जब भारत को स्वतन्त्र करने के लिये कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया था—"मैं सम्राट के शासन का विघटन करने के लिये प्रधान-मन्त्री नहीं बना हूं।" चर्चिल और उसकी अनुदारदल की सरकार भारत को किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता या यहाँ तक कि औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थिति तक प्रदान करने के लिए तैयार नहीं थी। परन्तु युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन में अनुदार दल की पराजय हुई और श्रमिक सरकार की विजय हुई। श्रमिक सरकार ने चुनाव के दौरान ही अपने घोषणा-पत्र में यह कहा था कि चुनाव में विजय के पश्चात् वे भारत को स्वतन्त्र कर देंगे। वास्तव में भारत की स्वतन्त्रता का बहुत बड़ा श्रेय ब्रिटेन की श्रमिक सरकार को भी जाता है। यह सत्य है कि यदि इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार न बनती तो भारत की स्वतन्त्रता कुछ और वर्षों के लिये स्थगित अवश्य हो जाती। **मौलाना आजाद** ने लिखा है—"एटली के अभिप्राय शुद्ध थे। वे भारत को स्वतन्त्रता देने के लिये दृढ़ थे। भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारतीयों के विरोध के बावजूद अंग्रेज अगले दस वर्ष तक उन पर शासन कर सकते थे। अतः भारत के बहुत तेजी से और सौजन्यपूर्ण तरीके से अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के लिए श्रमिक सरकार की प्रवृत्ति ही बधाई की पात्र है।"

५. ब्रिटेन द्वारा भारत को अधीन रखना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक

पाँच वर्ष के लम्बे युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक दृष्टि से कमर तोड़ दी थी। वह युद्ध के मैदान में जीत अवश्य गया था, परन्तु युद्ध के आर्थिक भार ने वस्तुतः उसे दिवालिया और कर्जदार बना दिया था। अब भारत का आर्थिक शोषण तो सम्भव था नहीं, उल्टे भारत को अधीन बनाये रखना बहुत महंगा कार्य था और यह ब्रिटेन की शक्ति के बाहर हो चला था। **दुर्गादास** ने अपनी पुस्तक में लिखा है—"दो विश्व-युद्धों ने ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को ऐसे निम्न बिन्दु पर ला दिया था, जहाँ से दूर के ब्रिटिश साम्राज्य को बनाये रखना एक असम्भव बोझ बन गया था। इस पर अमरीका द्वारा ब्रिटेन को उपनिवेशवाद को समाप्त करने के निरन्तर दबाव में ब्रिटेन ने अपने आर्थिक व्यय कम करने की बुद्धिमत्ता को पहचान लिया।"[1] दूसरे शब्दों में दूसरे विश्व-युद्ध के पश्चात् ब्रिटेन द्वारा भारत को अपने अधीन रखना ब्रिटेन के लिये एक ऐसा आर्थिक बोझ ही होता, जो उसके लिये सह सकना सम्भव नहीं था।

---

1. DURGADAS—"The two World-Wars having debilitated Britains economic strength to a point at which defence of the far-flung Empire became an impossible burden, the increasing pressure from the United States for the liquidation of colonialism made Britain see the wisdom of cutting her losses and quitting her possessions over seas."

Scanned with CamScan

६. एशिया में जागरण

बीसवीं शताब्दी का सूर्य सम्पूर्ण एशिया के लिए जागृति का सन्देश लेकर आया था। भारत के साथ-साथ एशिया के अन्य देशों में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। दूसरे विश्व-युद्ध में एशिया में स्थित पश्चिमी राज्यों की सेनाओं की पराजय से स्वतंत्रता की प्रक्रिया और भी तेज हो गई थी। १९४५ में इण्डोनेशिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। हिन्द-चीन के राज्यों में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। यद्यपि इन देशों को फिर से अपने अधीन करने के लिए साम्राज्यवादी सेनाएँ निरन्तर लड़ रहीं थीं, तो भी यह स्पष्ट हो गया था कि अब साम्राज्यवाद का सूर्य अस्त होने वाला है। सम्पूर्ण एशिया में जब साम्राज्यवाद का सूर्य अस्त हो रहा था, तो अंग्रेजों ने भी उसे अरब सागर में डूबते हुए देखा। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत के अंग्रेज शासक वक्त की रफ्तार को पहचान गये थे और उन्होंने यही उचित समझा कि भारत से सम्मान के साथ बिदा ली जाए। इसीलिए तो संविधान सभा में भारत के सुप्रसिद्ध दार्शनिक डॉ० राधाकृष्णन ने कहा था कि ब्रिटेन बधाई का पात्र है कि वह समय को पहचान कर भारत से ससम्मान बिदा हो रहा है और फ्रान्स तथा हॉलैण्ड की तरह हठधर्मी नहीं कर रहा है। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान के० एम० मुन्शी ने कहा था—"संसार में ब्रिटेन के अतिरिक्त और किसी भी शक्ति ने इतनी शालीनता के साथ स्वतंत्रता नहीं दी होगी और न संसार में भारत के अतिरिक्त और किसी भी शक्ति ने इस ऋण को इतनी शालीनता के साथ स्वीकार किया होगा।"

७. अन्तर्राष्ट्रीय दबाव

युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि वे 'नाजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तथा वे संसार में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध के पश्चात् विजयी होने पर वे प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे।' ऐसी घोषणाएँ न केवल 'एटलांटिक चार्टर' के रूप में की गई थीं, बल्कि संसार के अधिकांश देशों की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बार-बार युद्ध के दौरान भी दी गई थीं। अब जब युद्ध समाप्त हो गया था और मित्र राष्ट्र उसमें विजयी हो गये थे तो यह आवश्यक हो गया कि युद्ध के दौरान किये गये वायदों को पूरा किया जाए। इसीलिए अमरीका ने ब्रिटेन पर बारबार उचित दबाव डाला कि वह भारत को स्वतंत्र कर दे। यही अवस्था रूस की भी थी। अन्तर्राष्ट्रीय दबाव का ब्रिटेन पर कुछ प्रभाव निश्चित रूप से अवश्य ही पड़ा है।

८. माउंट बैटन योजना की स्वीकृति

भारत की स्वतंत्रता की मांग और उसकी प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी—मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की हठधर्मी के कारण स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक क्षति पहुंच रही थी। विशेष रूप से १९४० के बाद तो लीग ने जिहाद की राह अपना ली थी। गांधीजी ने नारा लगाया—'भारत छोड़ो' और जिन्ना ने नारा लगाया—

Scanned with CamScanner

"भारत को विभाजित करो और छोड़ो" (Divide and Quit)। मुस्लिम लीग की हठधर्मी के कारण अंग्रेजों को यह बहाना मिल गया था कि भारत स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं है। क्योंकि भारत में एकता नहीं है इसलिए अंग्रेज सत्ता सौंपे ही किसको? माउंट बैटन योजना के द्वारा लीग को एक 'लंगड़ा पाकिस्तान' दे देने से स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। यद्यपि इससे भारत को जो स्वतंत्रता मिली वह तीन-चौथाई स्वतंत्रता ही कही जा सकती है, तथापि स्वतंत्रता न मिलने से वह अच्छी ही थी।

इस प्रकार कई तत्वों ने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया। फिर भी इनमें अत्यन्त प्रमुख हैं—भारत का हिंसात्मक और अहिंसात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन, लन्दन में श्रमिक सरकार की विजय, सेना में ब्रिटिश राज के प्रति विद्रोह तथा युद्ध में ब्रिटेन की आर्थिक कमर का टूटना। एक मायने में भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन संसार के किसी भी स्वतंत्रता संग्रामों से सर्वथा पृथक है। वह यह कि इतने व्यापक और सफल पैमाने पर संसार के अन्य किसी भी देश में अहिंसात्मक जन-आन्दोलन नहीं हुए जितने कि भारत में।

भारत के विभाजन के कारण

भारत में स्वतंत्रता का आगमन सिसकते हुए हुआ था। देहली और कराची में जिस समय शानदार जश्न मनाये जा रहे थे, ठीक उसी समय अमृतसर और लाहौर की सड़कों पर पाश्विकता, चंगेजखाँ के बाद संसार के इतिहास का सबसे घिनौना नृत्य कर रही थी। रैडक्लिफ के निर्णय पर पूर्व और पश्चिम में भारत को बेरहमी के साथ आरे से चीरा जा रहा था। छः लाख स्त्री, पुरुष और बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी। एक करोड़ चालीस लाख लोग बेसहारा हो गये थे। भारत और पाक की सीमाओं पर लाशों की सड़ांध से वर्षों तक बदबू आती रही थी। भारत का विभाजन कर दिया था।

चौदह अगस्त, १९४७ को जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था और कराची में मुस्लिम राष्ट्र के जन्म पर शानदार जलसा हो रहा था, जिन्ना ने चुपके से अपने सचिव से कहा था—"I never thought it would happen. I never expected to see Pakistan in my life." यानी—"मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह हो जायेगा। मुझे कभी स्वप्न में भी पाकिस्तान देखने की आशा नहीं थी।"

अगर पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मदअली जिन्ना को भी स्वप्न में पाकिस्तान बनने की आशा नहीं थी, तो फिर प्रश्न उठता है, उसके बनने के कारण क्या थे। आखिर किन कारणों से भारत का विभाजन हुआ?

भारत के विभाजन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

ब्रिटिश सरकार की नीति

भारत के विभाजन का सबसे अधिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर है। ब्रिटेन ने सुनियोजित ढंग से भारत को विभाजित करने का षडयंत्र रचा और उसे

Scanned with CamScanner

पूरा किया। बहुत से लेखक और विद्वान ऐसा मानते हैं कि ब्रिटेन की श्रमिक सरकार और विशेष रूप से भारत के चहेते वायसराय लार्ड माउंट बैटन भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। परन्तु यह बात सरासर गलत है। वास्तव में पूर्ण विभाजन की सबसे पहले योजना लार्ड माउंट बैटन ने बनाई थी। इतना ही नहीं उन्होंने अपने शानदार व्यक्तित्व के कारण यह योजना नेहरू और पटेल के दिमाग में भी ठूंस दी थी। विशेष रूप से लार्ड माउंट बैटन की खूबसूरत पत्नि ने, जिनकी नेहरू से आत्मीय दोस्ती थी, नेहरू के दिमाग में यह बात भर दी थी कि भारत के विभाजन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यह बात अन्य कई लेखकों के अतिरिक्त, मौलाना आजाद ने भी अपनी पुस्तक India Wins Freedom—में एकदम साफ-साफ लिखी है। १९४६ में जब पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे और कत्लेआम हो रहा था, उस समय नेहरू उन विभत्स दंगों को देखने गए थे। और इन्हीं दिनों पंजाब के विभत्स दृश्यों की पीड़ा से द्रवित होकर लेडी माउंट बैटन ने देहली में अपनी आंखों में आंसू भर कर नेहरू से कहा था—मैं सोचती हूं कि हजारों मासूम बेगुनाहों का रक्त बहाने से क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं है कि मुस्लिम लीग की बात मान ली जाए। यह कैसी विचित्र बात है कि भारत में कांग्रेस के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को तो भारत की अंग्रेज सरकार सख्ती से कुचल सकती है, परन्तु भारत के साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में माउंट बैटन मगरमच्छ के आंसू बहाते थे। यदि ब्रिटिश सरकार चाहती और माउंट बैटन चाहते तो सरलता से कुछ हजार गुण्डों का सर कुचल कर पाश्विक नर-हत्या समाप्त की जा सकती थी, परन्तु उन्होंने जान बूझकर ऐसा नहीं किया। Leonard Mosley ने अपनी पुस्तक The Last Days of British Raj में लिखा है—"गांधीवादियों के अतिरिक्त ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो यह मानते हैं कि एक चालाक व्यापारी (लार्ड माउंट बैटन) ने चालाकी से विभाजन की कीमत पर भारत को स्वतंत्रता दी है।"[1]

वास्तव में असहयोग आन्दोलन की व्यापकता से ही ब्रिटिश साम्राज्य के रखवालों को यह स्पष्ट हो गया था कि भारत पर अब सरलता से शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हीं दिनों से शासन ने भारत में—"फूट डालो और शासन करो" की नीति अपनाई थी। अपनी इस नीति के अनुसार शासन के लोग निरंतर मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन और प्रश्रय देते रहे। उनके आशीर्वाद के अभाव में भारत में मुस्लिम राजनीति की हालत तो इतनी खराब थी कि बेचारे मोहम्मदअली जिन्ना दुखी होकर विलायत चले गये थे और वहीं वकालत करने लगे थे।

जब द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ और भारत में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन और आजाद हिन्द फौज की हुंकार सुनाई देने लगी तो अंग्रेज यह समझ गये कि अब

---

1. LEONARD MOSLEY—"There are many who believe—and not only Gandhi's disciples—that they were the victims of a salesmans trick which won them freedom but cost them the unity of the country."

Scanned with CamScanner

आज नहीं तो कल उन्हें भारत से बिदा होना ही पड़ेगा। ऐसे में कुछ ब्रिटिश अधिकारी तो साफ-साफ यह चाहते थे कि वे जब भारत से जाएँ, तो भारत को टुकड़ों में बाँटकर जाएँ और अन्य भी यह चाहते थे कि अगर उन्हें भारत से जाना भी पड़े तो कम से कम वे भारत के सीने पर अपने पांव रखने के अड्डे बनाते जाएँ। यही कारण है कि शिमला में जब जिन्ना केवल योजना पर अपनी स्वीकृति देने वाले थे तो अंग्रेज अधिकारियों ने उनसे कहा था कि यदि वे सम्मेलन को तोड़ देंगे तो उन्हें 'प्लेट में पाकिस्तान' भेंट के रूप में मिलेगा। **लियोनार्ड मोजले** ने, जो यों तो लन्दन के अनन्य उपासक हैं और यह दावा करते हैं कि बेचारी लन्दन की सरकार तो विभाजन नहीं करना चाहती थी, अपनी पुस्तक में स्वीकार किया है—

यह निश्चित रूप से सत्य है कि बहुत से ब्रिटिश अधिकारी, जिनमें से कुछ तो बहुत ऊंचे पदों पर थे, जो भारत में ब्रिटिश राज का अन्त नहीं देखना चाहते थे, ब्रिटिश शासन और अपनी नौकरियाँ बनाए रखने लिए कुछ भी करने को तैयार थे। भारत के एक प्रान्त के एक ब्रिटिश गर्वनर ने, शिमला के उस सम्मेलन को सफलता पूर्वक तोड़ा था, जहाँ हिन्दू और मुसलमानों में समझौता हो गया था। उसने जिन्ना को यह बताया कि वह किस कूटनीति पर चले और वायसराय पर प्रभाव डाला था कि वह कूटनीति सफल हो।"[1]

एशिया में अपने कदम जमाने के लिए, ब्रिटेन को भारत का एक भाग चाहिए था और इसीलिए पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इस तथ्य की पुष्टि इंग्लैंड के सम्राट **जार्ज षष्ठम** की पुस्तक His Life and Reign से भी मिलती है। इसमें लिखा है कि 'युद्ध के दौरान चर्चिल को यह निश्चय हो गया था कि युद्ध की समाप्ति पर भारत को अपने अधीन नहीं रखा जा सकता। उसने उसी समय यह योजना बनाली थी कि यदि भारत को स्वतन्त्र करना ही पड़ा तो उसमें से पाकिस्तान का टुकड़ा अपने लिए अलग निकाल लिया जाएगा।' इसलिए सत्ता में न होते हुए भी चर्चिल ने है पाकिस्तान के निर्माण में सब से बड़ा भाग लिया है। इसीलिए तो **दुर्गादास** ने लिखा

---

1. LEONARD MOSLEY—"It is certainly true that there were many British officials in India, some very high officials who did not wish to see the end of the British Raj and were prepared to use every stratagem possible to preserve British higemony and their own jobs; as long as possible. One British governor of an important Indian province successfully wrecked a conference at Simla at which Hindus and Muslims had come together, first by advising Jinnah on tacties and then using his influence on the Viceroy to make sure that the tacties worked."

Scanned with CamScanner

कि "पाकिस्तान के निर्माण में चर्चिल ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।"[1]

२. **कांग्रेस की गलत नीतियां**—भारत के विभाजन का दूसरा सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की गलत नीतियां थीं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम लीग और मुसलमानों के प्रति समय-समय पर घुटने टेकू और गलत नीति अपनाई जिससे मुस्लिम लीग के हौसले और मांगे बढ़ती गईं और इनका भयंकर परिणाम निकला।

इस तुष्टिकरण की नीति का प्रारम्भ १९१६ में हुआ। इस वर्ष कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता किया, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। इस समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। यह भारत में 'दो राष्ट्रों' के सिद्धान्त की नींव थी।

इसके बाद और बहुत भयंकर भूल असहयोग आन्दोलन में खिलाफत के विवाद को सम्मिलित करना था। यह ठीक है कि देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का पूर्ण सहयोग आवश्यक था, परन्तु इस सहयोग को प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के अन्दर भी राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावनाएँ भरनी चाहिए थीं। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर इस्लाम के नाम पर टर्की के विवाद को भारत की आजादी के आन्दोलन में घसीटा गया। इसके भयंकर परिणाम निकले। मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता बढ़ गई। राष्ट्रीयता सुला दी गई। इसीलिए असहयोग की असफलता पर देश में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हुए।

इसी प्रकार १९३२ में जब रैम्जे मैकडानल्ड ने "साम्प्रदायिक निर्णय" की घोषणा की तो कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया। गांधी ने आमरण अनशन किया, परंतु वह तो केवल हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर था। मुसलमानों के पृथक और बढ़े हुए प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कांग्रेस मौन ही रही।

तुष्टिकरण की सबसे अन्तिम सीमा वह थी, जब गांधीजी ने स्वयं जिन्ना को 'कायदे आजम' का खिताब देकर उसके दर पर जाकर वार्ताएँ चलाई थीं। भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो जाने पर, जब कि कांग्रेस के सभी नेता जेल में थे, गांधीजी ने जिन्ना को आसमान पर ही चढ़ा दिया था। इसमें सन्देह नहीं कि भारत के विभाजन का सबसे अधिक विरोधी गांधीजी ने ही किया था और विभाजन को रोकने के लिए वे यहां तक भी तैयार हो गए थे कि भारत की सारी सत्ता जिन्ना को ही दे दी जाए।

---

1. DURGADAS—"Charchill played a key role in the creation of Pakistan. Following the out break of the war, he realised that India could not be held indefinitely and, as revealed by King George VI in his book, HIS LIFE AND REIGN decided to give up India to the Indians after the war. Charchill and his colleagues decided, at the same time, to save what they could out of the wreckage and it was this conviction that lay behind the offer to Jinnah of 'Pakistan on a Platter.' Pakistan was expected to give them a foot hold in the sub-continent."

Scanned with CamScanner

परन्तु १९४७ में, विभाजन रोकने के लिये बहुत विलम्ब हो चुका था। जब सरदार पटेल को बताया गया कि गान्धीजी विभाजन के सख्त खिलाफ हैं तो उन्होंने ताव में कहा था—"वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में गांधीजी को भी उत्तरदायी होना होगा। उन्होंने अपने समधी (राजगोपालाचार्य) के कहने पर जिन्ना से बातचीत क्यों की? गांधीजी की मान्यता से जिन्ना मुसलमानों की आंखों में 'हीरो' हो गये है।"[1] यही बात मौलाना आजाद ने भी अपनी पुस्तक 'India wins Freedom' में लिखी है। आजाद ने लिखा है—"गांधीजी का इस अवसर पर जिन्ना से बातचीत करना बड़ी भारी राजनीतिक गलती थी।.....गांधीजी उसके पीछे भागने और उससे प्रार्थनाएं करने के फलस्वरूप बहुत से मुसलमानों में जो जिन्ना और उसकी राजनीति के प्रति सन्देह रखते थे, उसके प्रति आदर की भावना उत्पन्न हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि यह गांधीजी ही थे जिन्होंने जिन्ना को पहले पहल कायदे आजम कहना शुरू किया। जिन्ना को पत्र में कायदे आजम लिखकर गांधीजी ने उसको एक महान नेता मान लिया और भारतीय मुसलमानों की दृष्टि में उसकी स्थिति को मजबूत बना दिया।"

अतः डा० लाल बहादुर का यह कथन काफी हद तक सही है—"कांग्रेस ने मुसलमानों के प्रति तुष्टिकरण की नीति को अपनाया और इस प्रकार उन्हें अपनी असंगत मांगों की सूची को बढ़ाते रहने के लिये प्रोत्साहित किया। मुसलमानों को जीतने की दृढ़ इच्छा ने बार बार इसे अपने सिद्धान्तों को त्यागने के लिए विवश किया।"[2]

३. नेताओं में थकावट और पद का मोह

वास्तव में गांधीजी के नेतृत्व में नेहरू, पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, राजगोपालाचार्य, पन्त, पुरुषोत्तमदास टंडन, लोहिया, जयप्रकाशनारायण, आचार्य कृपलानी आदि नेताओं ने लगातार तीस वर्षों तक ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया था। संघर्ष की इस लम्बी अवधि ने सबको थका दिया था। अधिकांश नेता तो बूढ़े हो गये थे। यदि वे विभाजन को स्वीकार न करते तो उन्हें फिर से एक लम्बी लड़ाई के लिये तैयार होना पड़ता। फिर से जेल जाने के स्थान पर स्वतन्त्र—बेशक विभाजित—भारत में शासन के ऊँचे पदों पर पदासीन होने का मोह उन्हें बार-बार अपनी ओर खींच रहा

---

1. SARDAR PATEL—"Gandhiji must bear part of the blame for the unhappy developments. Why did he listen to his Samdhi and hold talks with Jinnah ? This recognition had made a hero of Jinnah in Muslim eyes."

2. DR. LAL BAHADUR—"Congress adopted an attitude of appeasement towards the Muslmans and thus encouraged them without wishing it to go on adding to their unreasonable claims. In its passion to woo the Mussalmans it frequently made sacrifice of principles, the communal melady grew into unproportioned height and ultimately led to the division of India."

Scanned with CamScanner

था। माइकल ब्रेकर नाम के एक लेखक ने नेहरू पर एक पुस्तक लिखी है। उसमें नेहरूजी से चर्चा का उल्लेख है। विभाजन को रोकने सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में नेहरू ने साफ-साफ स्वीकार किया है—"सत्य यह है कि हम थक गये थे और फिर हमारी उम्र भी बढ़ रही थी। हममें से बहुत कम लोग दुबारा जेल जाने के लिये तैयार थे और यदि एकीकृत भारत के लिए दृढ़ रहते, जैसा कि हम चाहते थे, तो स्पष्ट है कि हमको जेल जाना पड़ता।"[1]

इसी प्रकार गांधीजी ने भी विभाजन की संध्या से कुछ ही दिन पूर्व एक पत्रकार को कहा था—"मेरे बहुत से सहयोगी जेल से थके हुए और निराश बाहर निकले हैं और उनमें और कोई संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है। वे ब्रिटेन के साथ कोई समझौता चाहते हैं और इससे भी ज्यादा, सत्ता चाहते हैं।"[2]

इसीलिये जब लार्ड माउंट बैटन ने भारत के विभाजन की योजना उनके सामने रखी तो वे शीघ्र ही मान गये। यद्यपि कांग्रेस निरन्तर इस प्रकार की किसी भी माँग को ठुकराती ही आयी थी। परन्तु उनकी थकान और सत्ता के मोह ने इतना शिथिल कर दिया कि वे विभाजन को भी स्वीकार कर लें।

४. मुस्लिम लीग की हठधर्मी

भारत के विभाजन के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार भारत के वे संकीर्ण मुसलमान नेता हैं, जिन्होंने लगातार मुसलमानों के अन्दर इस जहर को बोया और भरा कि मुसलमान, हिन्दुओं से अलग एक राष्ट्र है। इन विचारों का उद्भव और विकास अलीगढ़ विश्वविद्यालय की चारदिवारी में हुआ। १९०६ में मुस्लिम लीग के नाम से जो विष की बेल बोयी गई थी, जिसे अली बन्धुओं ने अपनी मजहबी जनूनी तकरीरों से पाला-पोसा और बड़ा किया था, उसका जहर सारे मुस्लिम समाज में फैलता जा रहा था और मोहम्मदअली जिन्ना जैसे योग्य अध्यक्ष ने इसका बहुत लाभ उठाया। शायर इकबाल ने पाकिस्तान का जो 'विचार' प्रतिपादित किया था, यह जानते हुए भी कि वह बहुत अधिक व्यावहारिक नहीं है, लीग ने उसे पूरा करने की ठान ली थी। १९४० के बाद तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा चलाये गये स्वतंत्रता आन्दोलन के मार्ग में अधिक से अधिक बाधाएँ उत्पन्न की। उनके विभाजन की माँग

---

1. NEHRU TO MICHAEL BRECHER—"The truth is that we were tired men and were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again...and if we had stood out for a United India, as we wished it, prison obviously awaited us."

2. GANDHIJI—"Most of my colleagues had come out of jail tired and dispirited and without the heart to carry on struggle. They wanted a settlement with Britain and what is more, hungered for power."

Scanned with CamScanner

का खुलकर समर्थन भारत की साम्यवादी पार्टी ने खूब किया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के हर प्रयास को असम्भव बना दिया, अंग्रेजों के साथ भारत के हर समझौते को खटाई में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि मोहम्मदअली जिन्ना कोई बहुत चतुर, चालाक या अत्यन्त उच्चकोटि के कूटनीतिज्ञ थे। वास्तव में वक्त उनके साथ था। इतिहास की मजबूरियों ने उन्हें महान् बना दिया था। वे जो भी कर रहे थे अंग्रेजों के इशारों पर कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के इशारों पर ही उन्होंने मुसलमानों के लिये अलग राष्ट्र की हठधर्मी इस कदर पकड़ी कि उसको बनाये बिना और कोई मार्ग ही नहीं रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए—'सीधी कार्यवाही' के रूप में मुस्लिम लीग ने बंगाल और पंजाब में बड़े पैमाने पर इतने जघन्य साम्प्रदायिक दंगे करवाये कि हर सभ्य आदमी शरमिन्दा हो उठा। स्वाभाविक था कि कांग्रेस ने भी सोचा कि इन लोगों के साथ कैसे रहा जा सकता है और विभाजन स्वीकार कर लिया।

५. संकीर्ण हिन्दू समाज

भारत के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण हिन्दू समाज की संकीर्णता भी है। सामान्यतः भारत का यह इतिहास रहा है कि भारत में जितनी भी विदेशी जातियाँ और धर्म आये वे यहाँ ही समा लिए गए। वे भारतीय जीवन-प्रवाह का एक अंग बन गये। परन्तु शायद मुगलों और उसके बाद अंग्रेजों की लम्बी गुलामी के कारण हिन्दुओं का आत्म विश्वास कम हो गया था और उनकी पाचन शक्ति समाप्त हो गई थी। इसीलिए हिन्दू समाज शक, हूण या पारसियों के समान मुसलमानों को भारतीय समाज का एक अंग नहीं बना पाये थे। इतना ही नहीं बल्कि समाज में स्वयं इतनी कमजोरियाँ आ गई थीं कि उसके अंग टूटकर बिखर रहे थे। उनमें से कई तो मुसलमान और वो भी कट्टर मुसलमान बन गये थे। स्वय जिन्ना के दादा हिन्दू थे और रामायण का पाठ किया करते थे, परन्तु केवल एक खोजा पीर के सम्पर्क में आने के कारण, उन्हें समाज बाहर कर दिया और वे सब मुसलमान बन गये। हिन्दू समाज की मुसलमानों को आत्मसात न कर पाने वाली दुर्बलता ही अन्ततः भारत के विभाजन का कारण बनी। हिन्दुओं ने मुसलमानों के साथ, आत्मविश्वास के अभाव में, अछूतों से बुरा व्यवहार किया। इसके दुष्परिणाम निकलने ही थे। यह बात ठीक है कि इस्लाम एक रूढ़िवादी धर्म और जीवन-पद्धति है, परन्तु इस रूढ़िवाद को समाप्त करने का प्रयास भी तो हिन्दू समाज ने नहीं किया।

६. तात्कालिक कारण

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त कई तात्कालिक परिस्थितियाँ भी थीं जिन्होंने विभाजन को सम्भव बना दिया। बंगाल और पंजाब के भीषण दंगों ने कांग्रेस नेताओं को बहुत दुखी कर दिया था और वे विभाजन न चाहते हुए भी यही सोचते थे कि शायद जन-संहार से बचने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।

अन्तरिम सरकार जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने साथ-साथ भाग

Scanned with CamScanner

लिया था, भी बुरी तरह असफल रही थी। लीग ने सरकार का चलना असम्भव बना दिया था। सरदार पटेल ने और उनके अन्य साथी नेताओं ने यह धारणा पक्की कर ली थी कि भारत के नगर-नगर और दफ्तर-दफ्तर में पाकिस्तान बनने से तो यह अच्छा है कि पाकिस्तान की माँग स्वीकार कर ली जाये।

कांग्रेस के नेताओं ने यह भी अनुभव किया कि यदि भारत का विभाजन स्वीकार न किया गया तो हो सकता है कि शीघ्र ही देश एक लम्बे गृह युद्ध की आग में झुलस जाए। गृह युद्ध की लम्बी विभीषिका से अच्छा तो यही है कि भारत के विभाजन की माँग को स्वीकार कर लिया जाए।

यह खतरा भी बहुत अधिक था कि यदि इंग्लैंड में फिर से चुनाव हुए तो उसमें श्रमिक दल की सरकार पराजित हो सकती है। यदि श्रमिक दल की सरकार के स्थान पर अनुदार दल की सरकार आ गई तो जितनी स्वतन्त्रता अब मिल रही है, तब वह भी नहीं मिलेगी और कौन जाने यदि अनुदार दल ने भारत को स्वतन्त्रता दी भी तो वह भारत के और कितने टुकड़े करना चाहेगा।

लार्ड माउंट बैटन और उसकी सुन्दर पत्नि —इन दोनों के शानदार व्यक्तित्व ने अपने भारत आगमन के एक महीने के अन्दर ही नेहरू और पटेल को अपनी ओर कर लिया था। माउंट बैटन के व्यक्तित्व के कारण, विभाजन विरोधी नेहरू और पटेल द्वारा विभाजन के पक्ष में होने से अन्य नेता भी विभाजन समर्थक होने लगे।

यह भी माना गया कि भारत की एकता और प्रगति के लिए अभी विभाजन को स्वीकार कर लिया जाय और अंग्रेजों के जाने के बाद शीघ्र ही वे परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि भारत फिर से एक हो जाएगा।

इन सभी तात्कालिक परिस्थितियों ने विभाजन विरोधी शक्तियों को विभाजन का समर्थक बना दिया। माउंट बैटन योजना को अंधकार में प्रकाश का एकमात्र स्तम्भ मानकर उसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया और.....भारत के दो टुकड़े हो गये।

सवाल है, क्या भारत का विभाजन टल सकता था?

शायद हाँ। विभाजन के समय जिन्ना कैन्सर के मरीज थे। उसने कभी विभाजन को साकार होने कीक ल्पना भी नहीं की थी और वही विभाजन का सबसे बड़ा 'खलनायक' था। विभाजन के एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। यदि कांग्रेस के नेता थक गये थे और वृद्ध हो गये थे तो उन्हें यह भी देखना चाहिये था कि जिन्ना भी ढल रहा है, उसमें भी लड़ने की ताकत कहाँ बची है। घटना पटल से जिन्ना का मस्तिष्क हट जाने पर कांग्रेस का मार्ग अधिक सुगम हो सकता था। विभाजन टल सकता था।

ब्रिटेन में अनुदार दल के शासक बनने का भ्रम काल्पनिक था। १९४७ के आरम्भ में ही हथियार गिरा देना उचित नहीं था, क्योंकि यदि अनुदार दल की सर-

Scanned with CamScanner

कार बनती भी तो १९५० में बनती। इन तीन वर्षों में बहुत दाँव-पेच खेले जा सकते थे और भारत का विभाजन टाला जा सकता था।

भारत का विभाजन मुख्य रूप से एक कारण से स्वीकार किया गया था—वह यह कि यदि विभाजन नहीं हुआ तो देश में गृह-युद्ध होगा और हजारों लोग मारे जाएँगे। परन्तु विभाजन होने पर तो और भी अधिक जघन्य दंगे हुए। हजारों के स्थान पर लाखों लोग मारे गये और करोड़ों बर्बाद हुए। विभाजन की माँग ठुकरा देने पर इससे कम अत्याचार ही होते।

कई लोग सोचते हैं, विभाजन होना अच्छा ही हुआ। क्योंकि इससे हमेशा के लिए एक सरदर्द समाप्त हो गया। परन्तु यह तर्क तो बहुत ही शिथिल है। विभाजन हो जाने से हिन्दू-मुस्लिम दंगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में तो आजादी के बाद अब भी निरन्तर साम्प्रदायिक दंगे होते आ रहे हैं। भारत के लिये तो वह सरदर्द अब भी वैसा ही है। इसके साथ ही हमने अपने पड़ौस में एक स्थाई शत्रु बना लिया है, जो न केवल भारत पर बार-बार आक्रमण करता है बल्कि भारत में रहनेवाले मुसलमानों की भावनाओं को उभाड़ना चाहता है और भारत में निरन्तर अशांति उत्पन्न करने और तोड़-फोड़ करने के प्रयास करता ही रहता है।

"यह विभाजन कृत्रिम है। इसका अन्त होना ही चाहिए।"—यह विचार यदि जीवित रहा तो उसकी विजय अवश्य होगी और वह दिन, कुछ शताब्दियों के बाद ही सही, जब भी आएगा, उस दिन भारत की स्वतंत्रता का इतिहास पूर्ण होगा।

अभ्यास के प्रश्न

१. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।
(Write a short essay on—Indian Independence Act.)

२. भारतीय स्वतंत्रता में कौन-कौन से तत्व सहायक थे। उनका वर्णन कीजिये।
(What were elements that have worked for the freedom of India.)

३. 'गांधीजी के अहिंसात्मक आन्दोलन के अतिरिक्त और बहुत-से तत्व थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान दिया' विवेचना कीजिए।
("There were many other elements, apart from the Non-violent struggle of Mahatma Gandhi, that have contributed a lot for the freedom of India," Discuss.)

४. भारत के विभाजन के कारणों पर प्रकाश डालिए? क्या भारत का विभाजन टल सकता था?
(Discuss the causes of India's partition. Could these causes be avoided?)

५. "भारत का विभाजन अंग्रेजों के षड़यन्त्र का परिणाम था," विवेचना कीजिए।
("Partition of India was the result of the British game," Discuss.)

Scanned with CamScanner